ग्राम पंचायत मतिटिहरा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मतिटिहरा विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान तथा सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति विमला देवी	1.4.2013 से 21.1.2016
2.	श्री गुरदेव जगोता	22.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	1.4.2013 से 29.1.2014
2.	श्री सोहन सिंह	30.1.2014 से 31.3.2014
3.	श्री अश्वनी कुमार	1.4.2014 से 11.8.2014
4.	श्रीमति लता देवी	12.8.2014 से 31.8.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.20
2.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	9.43
3.	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.56
4.	8	भिन्न–भिन्न दरों पर भुगतान के फलस्वरूप अनियमित भुगतान	0.03
5.	10	खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित न करना	–

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 24.5.2016 से 27.5.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	6/2013	1/2014
2014–15	3/2015	11/2014
2015–16	3/2016	7/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹7200 को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 114, दिनांक 27.5.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला–9 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	317970	77654	395624	46257	349367
2014–15	349367	119550	468917	86962	381955
2015–16	381955	153902	535857	78229	457628

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	730617	1922183	2652800	2046531	606269
2014–15	606269	1592679	2198948	1517849	681099
2015–16	681099	2799431	3480530	2537078	943452

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

स्व स्त्रोत :–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	457628
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष	456663
(KCCB-24450)	965

अनुदान :–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	943452
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष	943452

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna KCCB 57533	3359
General Fund KCCB 86177	431454
MNREGA HGB 14147	0
13th FC PNB 9258506	386949
SBM KCCB 46510	121690
कुल राशि	**₹943452**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत मतिटिहरा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹20070 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹20070 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	50	16905	16955	16905	50
2014–15	50	18390	18440	18370	70
2015–16	70	19575	19675	19545	70

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

2. जांच में पाया कि रिलायंस इन्फ्राटेल लि0 कम्पनी का मोबाइल टावर दिनांक 26.6.2009 को श्री उत्तम चन्द की जमीन के नजदीक गांव घरदावा जसवाला में स्थापित किया गया था,

लेकिन उक्त कम्पनी से मोबाइल टावर की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 116, दिनांक 27.5.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या : 18, दिनांक 27.5.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त मोबाइल टावर की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली नहीं की जा रही है एवं टावर की स्थापना फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹16000 (अवधि 2009–2010 से 2016–2017 तक ₹2000 प्रति वर्ष) की वसूली हेतु प्रस्ताव संख्या : 5, दिनांक 24.5.2016 द्वारा मोबाइल कम्पनी को अवगत करवा दिया गया है। अतः ₹20000 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3. जांच में पाया गया कि माह 3/2015 में रसीद संख्या : 173 से 178 के अन्तर्गत गृहकर के रूप में ₹18370 वसूल किए गए थे, लेकिन दिनांक 24.3.2015 को केवल ₹16920 ही बैंक खाते में जमा किए गए थे एवं रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या : 20 पर दर्ज किए गए थे। इस प्रकार ₹1450 (18370–16920) कम जमा करवाए गए थे, जोकि प्राप्ति के छः माह पश्चात दिनांक 21.9.2015 को बैंक खाते में जमा करवाए गए थे एवं इस राशि को हस्तगत रूप में भी नहीं दर्शाया गया था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है एवं इस राशि के दुर्वियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान आपत्ति उठाने पर ₹131 दण्ड ब्याज की वसूली रसीद संख्या : 355326/179, दिनांक 27.5.2016 के अन्तर्गत पंचायत के खाते में जमा कर दी गई थी। अतः भविष्य में प्राप्त राशि को निर्धारित समय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹9.43 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹943452 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.56 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹355738 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं निविदाएं आमन्त्रित/स्टॉक प्रविष्टियों को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार उचित न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर की सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. अधिक दरों पर भुगतान के फलस्वरूप ₹3000 का अधिक भुगतान :–

चयनित माहों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या : 76, माह 1/2014 में मैसर्ज तारा सिंह से (ट्रैक्टर संख्या : H.P. 67–2765) मनरेगा के कार्यों हेतु क्रशर रेत की ट्रॉली ₹3500 की दर से क्रय किया गया था, जबकि इसी अवधि में पंचायत के अन्य कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार क्रशर रेत का क्रय अधिक दरों पर भुगतान किया गया था।

वाउचर सं0, दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
81, 4.1.14	M/s Tara Singh, Tractor No. H.P. 67-2765	1 ट्रॉली क्रशर रेत @₹4500	4500	1000
82, 4.1.14	M/s Tara Singh, Tractor No. H.P. 67-2765	2 ट्रॉली क्रशर रेत @₹4500	9000	2000

अतः पंचायत द्वारा एक ही अवधि में भिन्न–भिन्न कार्यों में अलग–अलग दरों पर निर्माण सामग्री का क्रय करके ₹3000 का अधिक भुगतान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियां तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर।
3. भण्डार रजिस्टर।
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच–पड़ताल रजिस्टर।
5. मोबाइल टावर के रख–रखाव का रजिस्टर।

10. खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)(xv)(vi)2/2016, खण्ड–1–4750–4753 दिनांकः 03.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0

पंजीकृत

4. सचिव, ग्राम पंचायत मतिटिहरा, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.